शिक्षा (ग्रुप–4) विभाग

प.2 (75) / शिक्षा–4 / 2003

जयपुर, दिनांकः– 5.6.03

कुल सचिव,
राजस्थान विश्वविद्यालय,
जयपुर।

विषयः–राकेश महाविद्यालय पिलानी (झुन्झुनू) के नाम से नवीन महाविद्यालय प्रारम्भ करने हेतु सत्र 2003–04 के लिये अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने बाबत् ।

संदर्भः– निदेशालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान ,जयपुर से प्राप्त पत्र कमांकः
प. 4 ( ) लेखा / निकाशि / 2003 / 1690 दिनांकः 20.5.2003

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निदेशक, कॉलेज शिक्षा ,राजस्थान , जयपुर द्वारा प्रेषित संदर्भित पत्र में की गई अनुशंषा के आधार पर राकेश महाविद्यालय पिलानी (झुन्झुनू)के नाम से नवीन महाविद्यालय प्रारम्भ करने एवं उसमें स्नातक स्तर पर अनिवार्य विषयों के अतिरिक्त कला संकाय में : 1. अंग्रेजी साहित्य 2. हिन्दी साहित्य 3. राजनीति शास्त्र 4. इतिहास 5. भूगोल 6. कम्प्यूटर विज्ञान 7. अर्थशास्त्र , विज्ञान संकाय में – 1. भौतिक विज्ञान 2. रसायन विज्ञान 3. प्राणीशास्त्र 4. वनस्पति शास्त्र एवं 5. गणित ऐच्छिक विषय प्रारम्भ करने हेते सत्र 2003–04 से तीन वर्ष के लिये अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्न लिखित शर्तो के साथ जारी किया जाता है :–

1. संस्था सम्बन्धित विश्वविद्यालय से सम्बद्धंन प्राप्त करने के बाद ही विद्यार्थियों को प्रवेश देगी ।
2. संस्था यू.जी.सी. अर्हताधारी प्राचार्य एवं अन्य शैक्षणिक स्टाफ नियुक्त करेगी तथा यू.जी.सी. अर्हताधारी व्याख्याताओ की नियुक्ति करके सूची निदेशालय कॉलेज शिक्षा को एक वर्ष के अन्दर प्रेषित करेगी अन्यथा निदेशालय द्वारा एन. ओ.सी. रद् करने बाबत् आवश्यक कार्यवाही की जावेगी ।
3. संस्था अशैक्षणिक पदों पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानदण्डानुसार व्यक्तियों की ही नियुक्ति करेगी ।
4. संस्था द्वारा विश्वविद्यालय एवं संस्था के संयुक्त खाते में नियमानुसार निर्धारित एण्डोमेन्ट राशि जमा करानी होगी
5. संस्था नवीन महाविधालय में प्रारम्भ किये जाने वाले विषयों में सभी मूलभूत सुविधायें जैसे कक्षा कक्ष / फर्नीचर / प्रयोगशालायें / पुस्तकालय / खेलकूद मैदान आदि की व्यवस्था करेगी ।
6. संस्था स्थाई निधि की राशि 5.00 लाख रुपये 5 वर्षीय सावधि जमा / 5 वर्ष तक जमा रखने होंगे तथा पांचा वर्ष बाद नवीनीकरण कराया जावेगा ।
7. संस्था को राज्य सरकार द्वारा वर्तमान एवं भविष्य में किसी प्रकार की वित्तीय सहायता नहीं दी जायेगी ।
8. संस्था समय समय पर जारी राज्य सरकार एवं कॉलेज शिक्षा निदेशालय के निर्देशों की पालना करेगी ।
9. संस्था को एक वर्ष के अन्दर स्वयं की भूमि पर महाविद्यालय भवन का निर्माण करना होगा ।
10. उक्त नवीन महाविद्यालय हेतु सीटों का आंवटन विश्वविद्यालय द्वारा किया जाकर राज्य सरकार एवं निदेशालय कॉलेज शिक्षा को सूचित किया जावेगा ।

भवदीय ,

विशेषाधिकारी, उच्चशिक्षा

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ट सहायक , मा० राज्यमंत्री , उच्चशिक्षा , राजस्थान , जयपुर ।
2. निजि सचिव , शासन सचिव , उच्चशिक्षा ,राजस्थान , जयपुर ।
3. निदेशक, कॉलेज शिक्षा , राजस्थान , जयपुर ।
4. उप सचिव , उच्चशिक्षा , राजस्थान , जयपुर ।
5. जिला कलेक्टर , झुन्झुनू ।
6. सचिव, राकेश एकेडमी शिक्षा समिति पिलानी (झुन्झुनू)
7. रक्षित पत्रावली ।

सचिव
राकेश अकेडमी शिक्षा समिति
पिलानी (झुंझुनूं)

विशेषाधिकारी , उच्चशिक्षा